अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2147(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईजोल के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मिजोरम राज्य होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Aizawl as the Special Court for purposes of the said Sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Mizoram.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2148(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिलांग के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मेघालय राज्य होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Shillong as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Meghalaya.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2149(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मणिपुर राज्य होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Manipur.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2150(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपिया, ईटानगर के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Ph Surendra Singh, District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1949(अ).— **जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए कोचि स्थित विशेष न्यायाधीश का विशेष न्यायालय-II, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केरल को दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 3205 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण केरल राज्य था;**

और जबकि, केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री एस. विजय कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एस पी ई/सी बी आई)-II/अपर जिला न्यायाधीश-IV), इरनाकुलम के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस. विजय कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एस पी ई/सी बी आई)-II/अपर जिला न्यायाधीश-IV), इरनाकुलम को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस.VI (IV)]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1949(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Special Court-II of

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1948(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2149 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मणिपुर राज्य था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री फ. सुरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री फ. सुरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1948(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Manipur vide notification number S. O. 2149 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri Ph Surendra Singh, District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal, to preside over the said Special Court;

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3054(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री पी. गोविन्दन, अधिवक्ता तथा श्री एम. नारसप्पा, अधिवक्ता को कर्नाटक राज्य में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय अथवा संशोधन न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमेबाजी के लिए विशेष लोक अधिवक्ताओं के तौर पर नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-VI (IV)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2013

S.O. 3054(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. Govindan, Advocate and Shri M. Narasappa, Advocate as Special Public Prosecutors for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any trial court or appellate court or revisional court established by law in the territory of the State of Karnataka.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3055(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री खोमद्राम समरजीत सिंह, अधिवक्ता तथा श्री अकोजान बॉबी सिंह, अधिवक्ता को मणिपुर राज्य में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय अथवा संशोधन न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमेबाजी के लिए विशेष लोक अधिवक्ताओं के तौर पर नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-VI (IV)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2013

S.O. 3055(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Khomdram Samarjit Singh, Advocate and Shri Akojan Bobby Singh, Advocate as Special Public Prosecutors for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any trial court or appellate court or revisional court established by law in the territory of the State of Manipur.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3056(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय अथवा संशोधन न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमेबाजी के लिए विशेष लोक अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-VI (IV)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2013

S.O. 3056(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Pradeep Kumar Sharma, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any trial court or appellate court or revisional court established by law in the territory of the National Capital Territory of Delhi.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3057(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री संजीव के. लाखर, अधिवक्ता तथा श्री प्रशान्त एन. चौधरी, अधिवक्ता को असम राज्य में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय अथवा संशोधन न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमेबाजी के लिए विशेष लोक अधिवक्ताओं के तौर पर नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-VI (IV)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव